न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) नजीबाबाद।
C.N.R. No. UPBJ240001532009
मूलवाद सं0: 239/2009
ननुवा बनाम चतर सिंह आदि।

<u>**12—11—21**</u>

अभिलेख पेश हुआ। पुकार पर पक्षकार अनुपस्थित। अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है, किन्तु पक्षकार विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। पक्षकारों की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेख लन्च बाद पुनः पेश हो।

(इन्दु रानी)
अपर सिविल जज (जू0डि0)
नजीबाबाद, बिजनौर।

<u>**बादहु लन्चः—**</u>

अभिलेख पुनः पेश हुआ। समयान्तराल पर बार—बार पुकार कराये जाने पर भी पक्षकार अनुपस्थित है। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि पक्षकार विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.21 को वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं वादी को सूचित किये जाने हेतु आदेश पारित किये जिसके अनुक्रम में वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सूचित किया गया जिसका पृष्ठाकंन वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्रक पर किया गया किन्तु इसके बाबजूद वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी और न ही पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुये है। न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.21 को अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के बाबजूद न्यायहित में पुनः अवसर देने पर भी पक्षकार अनुपस्थित है। पक्षकारों के इस आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार वाद उपरोक्त को आगे चलाना नहीं चाहते है। पक्षकारों की ओर से कोई स्थगन प्राथना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

मूलवाद सं0: 239/2009 ननुवा आदि बनाम चतर सिंह आदि, पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार नियमानुसार दाखिल दफत्र हो।

(इन्दु रानी)
अपर सिविल जज (जू0डि0)
नजीबाबाद, बिजनौर।